

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में कराये जा रहे विभिन्न कार्यों हेतु कुल ₹65.16067 लाख (पैंसठ लाख सोलह हजार सड़सठ रु०) मात्र राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

विगत वर्षों में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षापात में कमी एवं भू-गर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भू-जल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दक्षिणी बिहार के साथ-साथ उत्तरी बिहार में भी भू-जल स्तर में गिरावट हो रही है। इस आपदा जनक स्थिति पर दिनांक- 13.07.2019 को बिहार विधान मंडल के सेंट्रल हॉल में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. उक्त के आलोक में राज्य में बढ़ती जनसंख्या, मानवीय गतिविधि एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पारिस्थितिकीय चुनौतियों से निपटने तथा राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन का संधारण करने के व्यापक एवं बहुआयामी उद्देश्य से जल को प्रदूषण मुक्त रखने, इसके स्तर को संतुलित बनाये रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, हरित (वृक्ष/वन) आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय उर्जा के उपयोग एवं उर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिक परिवेश के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नये आयाम देने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया है।

3. जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जाने हैं :-

- (क) नगर निकायों के स्वामित्व के भवनों में Rain Water Harvesting निर्माण,
- (ख) अतिक्रमण मुक्त कुओं के पास सोखता निर्माण,
- (ग) खुले मैदानों में सोखता निर्माण,
- (घ) प्याऊ/स्टैंड पोस्ट/चापाकल के पास सोखता निर्माण,
- (ङ) अतिक्रमण मुक्त तालाबों/पोखरों का उड़ाहीकरण/जीर्णोद्धार,
- (च) अतिक्रमण मुक्त कुओं का उड़ाहीकरण/जीर्णोद्धार।

4. उक्त के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत- साहेबगंज, कांटी एवं जगदीशपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित जल-जीवन-हरियाली अभियान से संबंधित योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए स्तम्भ- 4 के अनुरूप राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

5. उक्त वर्णित स्थिति एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत- साहेबगंज, कांटी एवं जगदीशपुर द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹65.16067 लाख (पैंसठ लाख सोलह हजार सड़सठ रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)				
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	अधियाचित राशि	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	नगर पंचायत, साहेबगंज	Roof top rain water Harvesting system नगर पंचायत, साहेबगंज कार्यालय में Soak Pit का निर्माण कार्य।	0.49576	0.49576
2		Roof top rain water Harvesting system नगर पंचायत, साहेबगंज अंतर्गत विभिन्न वार्डों में Pit का निर्माण कार्य।	6.40600	6.40600
3		Roof top rain water Harvesting system नगर पंचायत, साहेबगंज अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार उड़ाही का कार्य।	14.49008	14.49008
4		Roof top rain water Harvesting from play ground & Open land जगहों पर Pit का निर्माण कार्य।	3.30000	3.30000
योग (क)			24.69184	24.69184
5	नगर पंचायत, कांटी	Roof top rain water Harvesting system अंतर्गत नगर पंचायत, कांटी कार्यालय में Soak Pit का निर्माण कार्य।	0.49576	0.49576
6		Roof top rain water Harvesting system अंतर्गत नगर पंचायत, कांटी विवाह भवन में Soak Pit का निर्माण कार्य।	0.49576	0.49576
7		Recharge Pit for Rain water Harvesting अंतर्गत कांटी ब्लॉक कैम्पस में Pit का निर्माण कार्य।	1.10000	1.10000
8		Rain water Harvesting अंतर्गत कांटी ब्लॉक कैम्पस में बी०आर०सी० भवन के समीप Pit का निर्माण कार्य।	0.32030	0.32030
9		Rain water Harvesting अंतर्गत कांटी नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में 15 स्थानों पर सरकारी/सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार/उड़ाही का कार्य।	13.58445	13.58445
योग (ख)			15.99627	15.99627
10	नगर पंचायत, जगदीशपुर	नगर पंचायत, जगदीशपुर अंतर्गत दुधनाथ बाबा तालाब का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	24.47256	24.47256
योग (ग)			24.47256	24.47256
कुल योग (क+ख+ग)			65.16067	65.16067

कुल स्वीकृत राशि ₹65.16067 लाख (पैंसठ लाख सोलह हजार सड़सठ रु०) मात्र।

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹65.16067 लाख (पैंसठ लाख सोलह हजार सड़सठ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019, पत्रांक- 733, दिनांक- 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) एवं पत्रांक- 1081, दिनांक- 11.12.2019 (द्वितीय अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर पंचायतों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

7. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

9. स्वीकृत कुल राशि ₹65.16067 लाख (पैंसठ लाख सोलह हजार सड़सठ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217031930104**, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

10. उक्त राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:-

(i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा कराया जायेगा।

(ii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iii) योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

(iv) जल-जीवन-हरियाली अभियान से संबंधित संरचनाओं के लिए विभागीय पत्रांकों यथा- पत्रांक- 872, दिनांक- 05.07.2019, पत्रांक- 897, दिनांक- 11.07.2019, पत्रांक- 1298, दिनांक- 06.09.2019 एवं पत्रांक- 6381, दिनांक- 03.12.2019 द्वारा प्रेषित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

६

मॉडल प्राकलन से वास्तविक प्राकलन की राशि अधिक होने की स्थिति में बढ़ी हुई राशि के औचित्य से संतुष्ट होने के उपरांत राशि का भुगतान किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/ना०सु०-03-16/2019 के पृष्ठ सं०-.....14...../टि० पर दिनांक- 27/01/2020 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....15...../टि० पर दिनांक- 27/01/2020 को प्राप्त है।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत- साहेबगंज, कांटी एवं जगदीशपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-16/2019 2/0 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-29/01/2020

प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत- साहेबगंज, कांटी एवं जगदीशपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29-01-2020
सरकार के विशेष सचिव।